अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015.
सं0 7/2015-सेवा कर

सा.का.नि. (अ).- केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 68 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 30/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.नि. 472(अ), तारीख, 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना में,--

(i) पैरा 1 के खंड (अ) में,--

(क) उपखंड (झक) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(झख) किसी पारस्परिक निधि अभिकर्ता या वितरक द्वारा किसी पारस्परिक निधि या स्ति प्रबंधन कंपनी को प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सहमति ;

(झग) किसी लाटरी टिकटों के किसी विक्रय या विपणन अभिकर्ता द्वारा लाटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता को प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सहमति ;";

(ख) उपखंड (iv) के उपखंड (ग) में, ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत की जाए, "समर्थन सेवाओं के माध्यम से" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपखंड (v) के पश्चात 1 मार्च, 2015 से निम्नलिखित उपखंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(vi) किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सहमत जिसमें किसी भी रीति में कोई समूहक अन्तर्वलित है; ";

(ii) पैरा 2 में, --

(अ) पैरा (II) के स्थान पर, निम्नलिखित 1 मार्च, 2015 से रखा जाएगा, अर्थात् :--

"II. उस व्यक्ति द्वारा जो सेवा प्रदान करता है उस पर संदेय सेवा कर की सीमा और पैरा 1 में विनिर्दिष्ट कराधेय सेवाओं पर सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी कोई अन्य व्यक्ति निम्नलिखित सारणी में यथा विनिर्दिष्ट रूप में होगा, अर्थात् :--";

( ) सारणी में,--

(i) स्तंभ (4), स्तंभ शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष 1 मार्च, 2015 से रखा जाएगा, अर्थात् :--

"सेवा प्रदाता से भिन्न सेवाकर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति द्वारा संदेय सेवाकर की प्रतिशतता"

(ii) क्रम सं. 1अ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"1ख	किसी पारस्परिक निधि अभिकर्ता या वितरक द्वारा किसी पारस्परिक निधि या स्ति प्रबंधन कंपनी को प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सेवाओं के संबंध में सहमत ;	कुछ नहीं	100%
1ग	लाटरी टिकटों के किसी विक्रय या विपणन अभिकर्ता द्वारा लाटरी वितरक या विक्रय अभिकर्ता को प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए सेवाओं के संबंध में सहमत ;	कुछ नहीं	100%";

(iii) क्रम सं0 8 के सामने स्तंभ 3 और स्तंभ 4 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः "कुछ नहीं" और "100%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

(iv) क्रम सं0 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् 1 मार्च, 2015 से निम्नलिखित पंक्ति अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"11	किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए किसी सेवाओं के संबंध में सहमत जिसमें किसी रीति में कोई समूहक अंतर्वलित है	कुछ नहीं	100%";

2. अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2015 से लागू होगी ।

(फा.सं. 334/5/2015-टी□ रयू)

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 30/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.472(अ), तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 10/2014-सेवा कर, तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा सा.का.नि.479(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।